Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

किन्नर विमर्श की अभिव्यक्ति और अस्मिता : यमदीप उपन्यास के संदर्भ में

डॉ. गोविन्द नाएक*

* अतिथि अध्यापक (हिंदी) मां माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय, भवानिपाटणा, कलाहांडी (ओड़िशा) भारत

शोध सारांश – लैंगिक आधार पर मानव मुख्यत: दो वर्गों में विभाजित है, स्त्री एवं पुरुष। इन्हीं दो वर्गों के साथ-साथ मानव जाति में एक अन्य लिंग अर्थात् तृतीय लिंग प्रकृति के इंसान भी उपस्थित हैं। सामान्यत: समाज में ऐसे मानव के लिए 'किन्नर' अथवा 'हिजड़ा' शब्द प्रयोग किया जाता है। ये वे लोग होते हैं, जो लैंगिक आधार से न तो पूर्णत: स्त्री होते हैं और न ही पूर्णत: पुरुष । कुछ विशेष अंगों एवं गुण सूत्रों का नियत अनुपात में विकास न हो पाने के कारण, ये लोग सामान्य स्त्री एवं पुरुष की भाँति न तो संभोग कर पाते हैं और न ही गर्भ धारण कर सकते हैं।ईश्वर की सृष्टि बहुत हीं अदभुत है । सभी का निर्माण समान रूप से न हुआ है, न ही सभी को समान सुविधा मिला है । मनुष्य में भी कई भेद है । किन्नर समुदाय में जन्म हुए लोग मनुष्य है या ओर कोई दूसरा जीव है ।ये आज भी प्रश्न का प्रसंग है? घर में कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी आदि सभी को रहने की अधिकार है लेकिन मनुष्य की योनि से जन्म हुए किन्नरों की स्थिति भारत जैसे गणतांत्रिक देश सामान्य अधिकार नही मिल पाता है ।

शब्द कुंजी – विमर्श, अस्मिता, दलित, किन्नर, थर्ड जेंडर, ट्रांसफोबिया,मानवीय मूल्य, समानता अधिकार, सामाजिक उपेक्षा, आत्मस्वाभिमान, अभिव्यक्ति।

प्रस्तावना – 'किन्नर विमर्श 21वी शताब्दी की देन है किन्नर समुदाय केलिएहिजड़ा,थर्ड जेंडर, गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, नपुंसक, आदि।'[1] 'थर्ड जेंडर' शब्द एक प्रतीक हैं, समाज से भिन्न उन वर्गों को जो समाज में रहकर भी समाज के अपने ना हो सके। थर्ड जेंडर या थर्ड सेक्स का विभाजन स्त्री-पुरुष के रूप में नहीं किया जाता है। बल्कि ये दोनों शब्द समाज में ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसे समाज में स्त्री-पुरुष के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। थर्ड जेंडर शब्द जिसे अन्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारतीय समाज के अंतर्गत अगर थर्ड जेंडर की बात की जाय तो एक अलग ही संस्थानीकृत समुदाय दिखाई देता है, जिसे मुख्य रूप से हिजड़ा समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है।'किन्नर समुदाय को देश में 'तृतीय लिंग' या 'थर्ड जेण्डर' के रूप में संवैधानिक मान्यता सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अप्रेल 2014 को भले ही मिले हुए हो लेकिन अभी भी समाज में थर्ड जेण्डरों की दशा में कोई खास सुधार नहीं आया है। वे आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं। इन्हें अभी भी हीन और तिरस्कृत नजर से देखा जा रहा है।'[2] समाज ही नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्य किन्नरो को हीन नजर से देखते हैं।'हिजड़ा' शब्द सुनते ही हमारी आँखों के सामने कमर लचकाते, तालियाँ बजाते, भद्दा मजाक करते, ट्रेनों व सिग्नलों पर भीख माँगते, चमकीली साड़ियाँ व बड़े-बड़े झुमके पहने, विचित्र रंग-रूप को धारण करने वाले व्यक्ति की छवि आती है। इसे सभ्य समाज में कोई भी अपने पास नहीं बिठाना चाहता, कोई भी पिता अपनी ऐसी संतान को समाज वालों के सामने लाकर स्वीकार नहीं करना चाहता। प्रश्न उठता है क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? संभवत: दुनिया में बदनामी और हंसी के डर से। अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला व मनोरोगी हर प्रकार का बच्चा सामाजिक रूप से स्वीकार्य है बस हिजड़े या हिजड़ी का बाप कहलाना न पिता स्वीकार कर पाता है और न उसका परिवार। समाज के लोग ऐसे परिवार को जीने नहीं देते इसीलिए समाज के भय से कभी ऐसे बच्चे त्याग दिये जाते हैं।

'अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार थर्ड जेंडर से संबंधित कानून यौनिकता तथा जेंडर पहचान के रूप में 26 मार्च 2007 को घोषित किया गया। इसके अंतर्गत 25 देशों के विशेषज्ञों द्वारा पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते हुए यौनिकता और जेंडर सिद्धांत का निरूपण किया गया और कहा गया कि श्हर देश का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक इंसान को उसकी यौनिकता या जेंडर पहचान के आधार पर भेदभाव किए बिना, मानवाधिकार बहाल करें, उनकी सुरक्षा करें तथा उनको इज्जत दे।18 दिसम्बर 2008 में सयुक्त राष्ट्र आम सभा में प्रस्तावित सिद्धांतों पर 66 देशों द्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्य पेश किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार रूपरेखा के आधार पर यौनिकता और जेंडर पहचान की इस फैसले में तीन श्रेणियां दी गईं (i) भेदभाव रहित (ii) निजी अधिकारों की सुरक्षा (iii) यौनिकता और जेंडर पहचान का भेदभाव न करते हुए सभी मनुष्यों के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करना।'[3] अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों तथा एल.जी.बी.टी आंदोलन के कारण ही समलैंगिकता के गैर अपराधीकरण का संदर्भ तैयार हुआ।

'थर्ड जेंडर समुदाय के मानवाधिकारों के संघर्ष की शुरुआत भारत में 1993 से मानी जा सकती है। पहली बार इन समुदाय के प्रति पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन हुआ जिसमें धारा 377 को रद्द करने का मुद्दा उठा। कोर्ट में 1994 में अपराधी कानून के खिलाफ पहली याचिका ए.बी.वी.ए. ने दी। इस चुनौती का कारण था जेलों में किरण बेदी द्वारा कंडोम बाँटने पर रोक। किरण बेदी का मानना था की ऐसा करना धारा 377 के अंतर्गत जुर्म होगा। इस कारण यह समुदाय स्वास्थ्य संबंधी मुहिमों में पीछे छूटता जा रहा था। मुख्यधारा में शामिल न किए जाने के

कारण इन्हें सभी जरूरी सुविधाओं से भी दूर रखा गया था। 2001 में नाज फाउण्डेशन द्धारा धारा 377 के खिलाफ याचिका दायर की गई। 2009 में धारा 377 को दिल्ली न्यायालय ने अपराधिक श्रेणी से बाहर किया। उसी याचिका पर पुन: सुनवाई के दौरान दिसंबर 2013 में उच्च न्यायालय में धारा 377 को पुन: अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। लंबे संघर्षो के पाद पुन: अपराधिक कानून में शामिल किए जाने के बाद के संघर्ष के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में इस समाज को थर्ड जेंडर में शामिल किया और इन्हें ट्रांसजेंडर नाम दिया।'[4]

साहित्य इंसान की सबसे बड़ी सृजनात्मक खोजों में से एक है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है । समाज की सभी गतिविधियां साहित्य के विभिन्न विधाओ अभिव्यक्त होती आ रही है। कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता आदि विधाओ के माध्यम से समाज की समस्या मुखरित होती है। किन्नर समुदाय लैंगिग विषमता के सदियो से भारतीय समाज में अवहेलित होती आ रही है । परंतु हिंदी भाषा के साहित्यकार किन्नर समाज को केंद्र में रखकर दर्जनो उपन्यासो की रचना किए है। इनके दुख, दर्द, पीडा, शोषणऔर अत्याचार को मर्मिक रूप से चित्रण किए है।थर्ड जेंडर पर आधारित उपन्यासों में सिर्फ किन्नरों के समस्याओं का चित्रण नहीं मिलता बल्कि किन्नर समुदाय की जीवन शैली, रीति रिवाज, निराश, कुंठा, एकाकीपन, सामाजिक उपेक्षा आदि देखने को मिलता है, ये ही थर्ड जेंडर विमर्श की मूल अवधारणा है ।

हमारे सामाजिक परिवेश में किन्नर समुदाय सदैव अपेक्षित-सा रहा है। इन पर बोलना-लिखना आज भी सभ्य समाज की निशानी नहीं मानी जाती है। किन्नर को सदैव हेय दृष्टि से देखा जाता है। यह संतोष की बात है कि आज किन्नर विमर्श को साहित्य की महत्त्वपूर्ण धारा के रूप में जाना-समझा जा रहा है। विभिन्न उपन्यासों, कहानियों, आलेखों ने साहित्यकारों के साथ-साथ पाठकों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया है। थर्ड जेंडर विमर्श से संबंधित हिन्दी उपन्यासों की संख्या बहुत कम है । यमदीप- नीरजा माधव(2002), मैं भी औरत हूं- अनुसूया त्यागी(2005), तीसरी ताली- प्रदीप सौरभ(2010), किन्नर कथा- महेंद्र भीष्म(2011), गुलाम मंडी- निर्मला भुराड़िया(2013), पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा- चित्रा मुद्गल(2016), मैं पायल- महेंद्र भीष्म(2016), जिन्दगी 50-50 भगवंत अनमोल(2017), दरमियाना- सुभाष अखिल(2018) आदि उपन्यासों में किन्नर समाज के शोषण, अत्याचार, उत्थान और पतन का झलक देखने को मिलता है । सभी उपन्यासों की कथानक लगभग समान है । जिस प्रकार से स्त्री विमर्श पर आधारित साहित्य पितृसत्तात्मक समाज का विरोध करके सामाजिक समानता का मांग करता है, ठीक उसी प्रकार किन्नर विमर्श पर आधारित उपन्यासों में भी सदियों से वंचित किन्नर समाज को मानवाधिकार दिलाने की कोशिश करता है ।किन्नर विमर्श पर आधारित यमदीप उपन्यास का समस्याए इस प्रकार से हैं ।

'यमदीप' उपन्यास नीरजा माधव द्धारा रचित एक मार्मिक उपन्यास है, जिसे हिंदी साहित्य में किन्नर विमर्श या थर्ड जेंडर समुदाय पर केंद्रित पहला उपन्यास माना जाता है। यह कृति समाज के हाशिए पर जी रहे इस वर्ग के दर्द, संघर्ष और उनकी छिपी हुई मानवीय संवेदनाओं का प्रामाणिक दस्तावेज है।उपन्यास का शीर्षक 'यमदीप' एक बेहद मर्मस्पर्शी प्रतीक है। दीपावली की पूर्व संध्या पर यमराज के निमित्ता घर के बाहर घूरे पर एक दीया जलाकर रख दिया जाता है, जिसे कोई पलट कर नहीं देखता और ना ही जिसकी पूजा होती है। लेखिका ने किन्नर समाज को इसी 'यमदीप' की उपमा दी है। तथाकथित सभ्य समाज इस समुदाय को अभिशप्त मानकर अंधकार में अकेला छोड़ देता है।

'यमदीप' उपन्यास एक मेजर के घर तीसरी संतान के रूप में जन्मी 'नंदरानी' के जीवन की यात्रा कराता है। माँ की लाड़ली 'नंदरानी' से 'हिजड़ा नाज बीबी' में रूपान्तरण की उसकी कथा अत्यन्त हृदयविदारक है। समाज की अनेकानेक इकाइयाँ इस रूपान्तरण के लिए उत्तरदायी हैं, उपन्यास में बड़ी ही नि:संगता के साथ सबको कटघरे में खड़ा किया गया है। कथा-लेखिका की सूक्ष्म दृष्टि से कुछ भी बच नहीं पाया है- परिवार, शिक्षण-संस्थाएँ, धर्म के ठेकेदार, मीडियाकर्मी, पुलिस, राजनेता.... सबकी भूमिका की निर्मम पड़ताल की है लेखिका ने। 'तीसरे लिंग' के विषय में सबकी मानसिकता कमोबेश एक-सी ही है। 'समाजशास्त्रियों ने इस मानसिकता को 'ट्रांसफोबिया' कहा है, इसका विकराल चेहरा इस उपन्यास के पृष्ठों पर बार-बार प्रकट होता है- पूरी भयंकरता के साथ। 'तीसरे लिंग' के प्रति भय, लज्जा, क्रोध, हिंसा, पूर्वाग्रह, भेदभाव आदि नकारात्मक भावों के सम्मिश्रण से बना यह 'ट्रांसफोबिया' तीसरे लिंग के जीवन को नरक बना देता है। जन्म के साथ ही तीसरे लिंग का मनुष्य इसका शिकार होने लगता है।'[5] उपन्यास का पाठ हमारे सामने स्पष्ट कर देता है कि एक मेजर के घर तीसरी संतान के रूप में जन्मी 'नंदरानी' वस्तुत: 'तीसरे लिंग' का मनुष्य है। उसके जन्म पर मेजर साहब फूट-फूट कर रो पड़ते हैं। मेजर साहब! फौज के एक उच्च अधिकारी! देश को दुश्मनों से बचाने वाले वीर-जांबाज! एक मेजर के साहस और शौर्य पर तो संदेह हो ही नहीं सकता। बहादुरफौजी !..... और फूट-फूटकर रो रहे हैं वे !! क्यों भला? दु:खी हैं वे अपने दुर्भाग्य पर। जानते हैं कि इस संतान के कारण उन्हें कदम-कदम पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। ...और इस तरह जन्म लेते ही वह शिशु 'ट्रांसफोबिया' का शिकार होने लगता है। शिशु की माँ की क्या प्रतिक्रिया रही होगी उसके जन्म पर, उपन्यास में स्पष्ट नहीं है। मगर दादी? एक भय तत्काल उन्हें दबोच लेता है कि हिजड़े आएँगे और इस शिशु को जबरन अपने साथ ले जाएँगे। भयभीत दादी तुरन्त समाधान निकालती हैं कि शिशु को उसकी माँ समेत जल्द से जल्द ननिहाल भेज दिया जाए और अगले ही दिन उस नवजात शिशु को माँ समेत उसके ननिहाल भिजवा दिया जाता है और यहाँ घर में सबको मुँह बंद रखने की सख्त हिदायत दे दी जाती है ताकि यह मनहूस खबर फैले ही नहीं। हिजड़े आते हैं और नाच-गाकर अपना नेग लेकर चले जाते हैं तब दादी की साँस में साँस आती है। भय का भाव यहाँ स्पष्ट ही देखा जा सकता है। दादी डरी हुई हैं कि उनके घर जन्मे हिजड़े शिशु को कहीं हिजड़े अपने साथ न ले जाएँ। 'जिन हिजड़ों के हाथ अपने शिशु को सौंपने के ख्याल से ही दादी डरी-सहमी हुई हैं, उनका अपना शिशु भविष्य में वैसा जीवन न जीए, इसके लिए वे करती क्या हैं? सिवाय उसे समाज से छिपाकर रखने के! केवल वही क्यों, परिवार के अन्य सदस्य भी क्या करते हैं? उसकी देह के सच को सबसे छिपाने के सिवा ! जन्म के बाद के चार-पाँच साल माँ की कड़ी सुरक्षा में बीतते हैं ताकि यह सच किसी पर जाहिर न हो जाए। मगर अब स्कूल भेजना है उसे !! सख्त हिदायत दी जाती है उस पाँच साल की बच्ची को कि किसी के भी सामने 'छोटे बाहर' (मूत्र-विसर्जन) या 'बड़े बाहर' (शौच) नहीं जाना है।'[6] पिता स्कूल छुड़वा लेते हैं क्योंकि वहाँ यह भेद उजागर हो गया है। भाई क्रोध में आग-बबूला हो उसे कोसने लगता है जब उसके कारण बड़ी बहन के विवाह में अड़चनें आने लगती हैं। जानता था भाई कि भविष्य में उसके अपने विवाह के समय भी यह नंदरानी रूपी रोड़ा

आड़े आएगा। वह 'तीसरे लिंग' में जन्मी अपनी इस बहन पर क्रोध कर सकता है मगर उसके हक के लिए समाज के सामने छाती तानकर खड़ा नहीं हो सकता। अपने आस-पास जब हम नजर दौड़ाते हैं तो 'तीसरे लिंग' के मनुष्य 'संतान-जन्म' के अवसर पर या 'पुत्र-विवाह' के अवसर पर तालियाँ पीट-पीटकर नाचते-गाते ही दिखते हैं हमें। नाम मात्र के अपवादों को छोड़ दिया जाए तो स्कूलों में शिक्षा पाते कहाँ दिखते हैं ये? रोजगार की दुनिया में सम्मानजनक पदों पर कब दिखते हैं ये?

नंदरानी की माँ अपनी अभिशप्त कोख को कोसती और नंदरानी के पिता के साथ मिलकर केवल आँसू बहाती ही नजर आती हैं। माता-पिता के ये आँसू नंदरानी की नियति नहीं बदल पाते। वह बार-बार आशा भरी नजरों से उनकी ओर देखती है मगर वहाँ उसे विवशता ही पसरी दिखाई देती है। 'विधाता के क्रूर मजाक को समझने के बाद भी नंदरानी को लग रहा था कि वह माता-पिता के सहारे डॉक्टर बन जाएगी और बड़ी होकर उनकी सेवा करेगी मगर माता-पिता अपने कर्त्तव्य से विमुख हो जाते हैं।..... और फिर एक दिन वह घर छोड़ देती है।'[7] कोई कह सकता है कि नंदरानी ने खुद घर छोड़ा, परिवारजनों ने उसे नहीं निकाला मगर उपन्यास का पाठ स्पष्ट कर देता है कि परिवार के सदस्यों ने ही घर में उसके लिए ऐसा दमघोंटू माहौल बना दिया कि विवश होकर उसे घर छोड़ना पड़ा। जैसे किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है, यह भी वैसा ही कृत्य था। भाई का क्रोध और वाचिक हिंसा, पिता का उसके कारण उपजी अपनी दयनीय दशा का करुण प्रदर्शन, माँ के कायरता-भरे आँसू...सबने मिलकर अपराध-बोध से भर दिया नंदरानी को। कहाँ तक सहन करती वह? अपनों के बीच पराएपन का अहसास जब असह्य हो गया तो उस तथाकथित घर को सदा के लिए त्याग वह अपनी 'हिजड़ा जमात' में शामिल हो गयी। उपन्यास नाजबीबी के उदाहरण के माध्यम से ऐसे माता-पिता को कटघरे में खड़ा करता है। समाज के डर से अपने 'तीसरे लिंग' के बच्चों को निर्वासित करने वाले माँ-बाप क्या कभी उस पीड़ा का अनुमान लगा पाते हैं जो इन बच्चों को घर से जुदा होकर होती है! एक गुमनाम-सी जिंदगी जीनी पड़ती है इन्हें, पहचान बदलनी पड़ती है इन बच्चों को अपनी। माँ-बाप की तथाकथित इज्जत बचाने के लिए अपनी पुरानी पहचान छिपाते हुए अपने अतीत से नाता तोड़ना पड़ता है। मानो एक पौधे को नरम-उपजाऊ मिट्टी से उखाड़कर किसी एकान्त कोने की सख्त मिट्टी में प्रतिकूल जलवायु के बीच बेदर्दी से पटक दिया जाए ! नंदरानी इसी बेदर्दी की शिकार बनी थी।'

पुलिस वालों का व्यवहार भी उनके प्रति या तो उपहास से भरा है या हिंसा से। सोना की तलाश में जब पुलिस वाले हिजड़ों की बस्ती में छापा मारते हैं तो बड़ी ही बेरहमी से वे उन्हें पीटते हैं।' उपन्यास स्पष्ट कर देता है कि हिजड़े पुलिस वालों की यौन-हिंसा का शिकार भी होते हैं। केवल पुलिस ही नहीं, सेक्स की भूख से पीड़ित कई-कई पुरुषों के साथ हिजड़ों को यौन-संबंध बनाने पड़ते हैं। एकाधिक पुरुषों के साथ यौन-संबंध बनाने के कारण ये भयंकर यौन रोगों के शिकार हो जाते हैं। उपन्यास में सोबराती नाम का हिजड़ा ऐसे ही यौन रोग से ग्रस्त दिखाया गया है।' अच्छी चिकित्सा के अभाव में वह बरसों तक तड़प-तड़पकर अंत में प्राण त्याग देता है।

'एक ममतामयी, कर्त्तव्यपरायण माँ की तरह वह सोना को पालती है। सोना ही अब उसकी जिंदगी है। उससे बिछुड़ने की कल्पना-मात्र से ही वह विह्वल हो उठती है। उपन्यास के उत्तरार्ध में जब एक डॉक्टर की चुगली से सोना का भेद पुलिस पर खुल जाता है और विवश हो नाज बीबी को सोना को नारी उद्धार गृह भेजना पड़ता है तब उसकी व्याकुल दशा, उसका रोना-बिलखना पाठक को भी करुणा-विगलित कर देता है।'[8] यही नहीं, नारी उद्धार गृह के भीतरी शर्मनाक सत्य का पर्दाफाश जब एक अखबारी समाचार द्वारा नाजबीबी के सामने होता है तो सोना की चिंता में पहले उसका निरीह-कातर होना और फिर उसके तुरंत बाद सोना को उस कुचक्र से मुक्ति दिलाने के लिए उसका कमर कस लेना उसके चरित्र को एक अत्यन्त उदात्त धरातल पर स्थापित कर देता है। वस्तुत: उसके चरित्र के माध्यम से नीरजा माधव ने 'तीसरे लिंग' की त्रासदीहैं। नारी-उद्धार गृह में शरण पाने वाली मजबूर-मासूम लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने वाले और विरोध करने पर उनकी हत्या तक कर देने वाले ये हैवान क्या 'मनुष्य' कहलाने के अधिकारी हैं? और इधर, नाज बीबी ही नहीं, छैलू, अकरम, चमेली जैसे अनेकानेक हिजड़ा चरित्रों के माध्यम से लेखिका ने अपनी इसी संकल्पना को अभिव्यक्ति दी है कि तीसरे लिंग में जन्म हुए लोगो के पास भी मानवता जीवित है ।

उपन्यास्कार नीरजा माधव ने उपन्यास का अंत मानवी के उस संकल्प के साथ किया है जिसमें वह भ्रष्ट राजनीतिज्ञ मन्ना बाबू के विरोध में नाज बीबी को चुनाव में खड़ा करना चाहती है। डी. एम. आनन्द का सहयोग भरा साथ उसे प्राप्त है ही। इस प्रकार उपन्यास का अंत तीनों लिंगों के सहयोगी प्रयास की मधुर कल्याणकारी संकल्पना के साथ होता है। आनन्द 'पुल्लिंग' के प्रतिनिधि हैं मानवी 'स्त्रीलिंग' की और नाज बीबी 'तीसरे लिंग' की। स्त्री-पुरुष के अद्वैत की बात तो साहित्य में बार-बार दोहराई गई है मगर इस सहयोगी-संकल्पना में कभी भी 'तीसरे लिंग' को शामिल नहीं किया गया था। उनके सम्मिलन के बिना 'संपूर्ण एकता' का दावा कितना झूठा था, कितना अधूरा ! नीरजा माधव के 'यमदीप' के माध्यम से मानो इस त्रुटि का परिमार्जन कर लिया साहित्य ने! 'समानता' और 'स्वतंत्रता' जैसे चिर प्राचीन और चिर नवीन शब्द भी तब तक अर्थहीन ही माने जाएँगे जब तक 'तीसरे लिंग' तक इन शब्दों की अर्थवत्त का प्रसार नहीं हो जाता। नाज बीबी जैसे तीसरे लिंग के मनुष्यों को 'यमदीप' की तरह 'घूरे' पर निर्वासित कर देना अब मानव-समाज को बंद करना होगा।

निष्कर्ष -किन्नर समाज को आज भी अपने बुनियादी अधिकारों, सामाजिक स्वीकार्यता और सम्मान के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। उनके सामने प्रमुख चुनौतियाँ पहचान, शिक्षा, रोजगार और भेदभाव से जुड़ी हुई हैं।सामाजिक बहिष्कार,शिक्षा और रोजगार का अभाव, स्वास्थ्य सेवाएं और मानसिक तनाव किन्नर समुदाय का प्रमुख समस्या है। भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर में स्थापित किया जा रहा है।यह अपनी तरह का पहला संस्थान है जहाँ इस समुदाय के लोगों को प्राथमिक स्तर से लेकर पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।कानूनी तौर पर 2014 के बाद किन्नरों को पिछड़े वर्ग के भांति सरकारी सुविधा तो मिल रहा है, फिर भी आज किन्नर समाज के लोग ट्रांसफोबिया का शिकार हो रहे है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. खान डॉ.एम. फिरोज, थर्ड जेंडर और साहित्य, विकाश प्रकाशन, कानपुर-2018, पृष्ठ क्र. -09
2. खान डॉ.एम. फिरोज, थर्ड जेंडर अतीत और वर्तमान, विकाश प्रकाशन, कानपुर-2018, पृष्ठ क्र.- 14
3. खान डॉ.एम. फिरोज, थर्ड जेंडर और साहित्य, विकाश प्रकाशन, कानपुर-2018, पृष्ठ क्र. -28

4. खान डॉ.एम. फिरोज, थर्डजेंडर और साहित्य, विकाश प्रकाशन, कानपुर–2018, पृष्ठ क्र. –33
5. खान डॉ.एम. फिरोज, थर्ड जेंडर अतीत और वर्तमान, विकाश प्रकाशन, कानपुर–2018, पृष्ठ क्र.– 17
6. माधव नीरज, यमदीप, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली–2017, पृष्ठ क्र.–8
7. माधव नीरज, यमदीप, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली–2017, पृष्ठ क्र.–20
8. माधव नीरज, यमदीप, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली–2017, पृष्ठ क्र.–8

****